बाल विवाह निवारण

पंचायत सदस्यों के लिए प्रशिक्षण मार्गदर्शिका

Srijan Foundation
Hazaribag / Jharkhand

सृजन फाउंडेशन

पुनर्वास और बाल संरक्षण विशेषज्ञ
राहुल मेहता द्वारा
सृजन फाउंडेशन के लिए

गर्ल्स फर्स्ट फण्ड के सहयोग से विकसित

प्रशिक्षण मार्गदर्शिका के लिए
सभी सहयोगियों को हार्दिक आभार

सृजन फाउंडेशन
मुख्य कार्यालय:106, बिजोय एन्क्लेव, हीराबाग चौक,
मटवारी, हजारीबाग- 825301
राज्य समन्वय कार्यालय: पृथ्वी होम, फ्लैट नं- 202 डी.ए.वी.
दीपटोली गेट नं.1 के निकट, बाँधगाड़ी, रांची 834009
Website: www.srijanjhk.org
E-mail id: srijanfoundationjkd@gmail.com

पृष्ठभूमि

बाल विवाह बहुत ही जघन्य अपराध है. 38% के विवाह दर के साथ झारखण्ड का देश में पश्चिम बंगाल और बिहार के बाद तीसरा स्थान है. सृजन फाउंडेशन द्वारा बाल विवाह के उन्मूलन हेतु **गर्ल्स फर्स्ट फण्ड** के सहयोग से हजारीबाग और गुमला जिला में "**बाल विवाह और शीघ्र संबंध की रोकथाम**" परियोजना क्रियान्वित की जा रही है. बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए और किशोरियों को यह अहसास कराने के लिए कि उनके सपने और ख्वाहिश शादी से ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, सृजन फाउंडेशन नियमित रूप से किशोरियों और युवा महिलाओं के साथ कार्यक्रम आयोजित करता रहता है. संस्था नियमित रूप से अन्य हितधारकों, जैसे कि माता-पिता, शिक्षक, सेवा प्रदाता, फ्रंट लाइन वर्कर, धार्मिक नेताओं, सरकारी अधिकारियों आदि के साथ भी बातचीत करता है ताकि कार्यक्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति बाल विवाह के खिलाफ अभियान में एक साथ आयें.

सृजन फाउंडेशन न केवल बाल विवाह को रोकने की कोशिश कर रहा है, बल्कि लोगों को शादी की उम्र में देरी के लिए जागरूक और संवेदनशील भी कर रहा है. सृजन फाउंडेशन का मानना है कि एक किशोर या किशोरी 18 साल के होते ही अचानक से वयस्क और कुशल नहीं बन जातें. उन्हें दुनियादारी समझने और स्वनिर्भर बनने में वक्त लगता है. अत: जब तक वे पूरी तरह कार्यात्मक वयस्क नहीं हो जातें, जो विवाह की जिम्मेदारियों को संभालने के लिए अति आवश्यक है, तब तक विवाह की उम्र में देरी करना समय की माँग है.

मार्गदर्शिका किसके लिए

बाल विवाह के रोकथाम में चयनित पंचायत प्रतिनिधियों- वार्ड सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद् सदस्य, प्रमुख, उपप्रमुख सहित परंपरागत ग्राम प्रधान का विशेष भूमिका है. वे व्यक्तिगत रूप से या फिर किसी समिति के सदस्य के रूप में बाल विवाह के रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. यह प्रशिक्षण मार्गदर्शिका मूल रूप से उन्हें केंद्र में रख कर तैयार की गयी है.

मार्गदर्शिका का उद्देश्य

यह मार्गदर्शिका किशोरियों से संबंधित हिंसा और भेदभाव के मामलों की पहचान, समझ एवं दृष्टिकोण के स्पष्टीकरण, बाल विवाह से संबंधित सामाजिक मानदंडों, सरकारी प्रावधानों और बाल विवाह के निवारण में पंचायत के भूमिका संबंधी ज्ञान वृद्धि में सहायक हो सकती है. मार्गदर्शिका का विशिष्ट उद्देश्य निम्नलिखित हैं-

- बाल विवाह और शीघ्र संबंध की रोकथाम परियोजना के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु पंचायत सदस्यों का संवेदनशीलता और क्षमता विकसित करना.
- बाल विवाह निवारण में पंचायत सदस्यों के सक्रीय भागीदारी हेतु उनके भूमिका और जिम्मेदारियों पर समझ विकसित करना.
- पंचायत सदस्यों के साथ विमर्श हेतु एल टूल उपलब्ध करना जिसके आधार परियोजना से जुड़े कार्यकर्ता पंचायत सदस्यों के साथ सहयोग हेतु परिचर्चा कर सकें.
- एक ऐसा समूह तैयार करना जो परियोजना के समाप्ति के बाद भी क्षेत्र में एक संसाधन के रूप में उपलब्ध रहे.

सृजन फाउंडेशन

सृजन फाउंडेशन सामाजिक रूप से प्रतिबद्ध युवा प्रोफेशनल के एक समूह द्वारा 1995 में स्थापित एक गैर सरकारी संगठन है जो समाज के वंचित समूह के कल्याण तथा समुदाय और जमीनी संगठनों की क्षमता विकास के लिए प्रयासरत है. 07 फरवरी 2001 को भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882 के तहत पंजीकृत संस्था अपने स्थापना काल से ही समुदाय के वंचित वर्गों विशेषकर महिलाओं और बच्चों के साथ स्वतंत्र रूप से झारखण्ड राज्य के सात जिलों और नेटवर्क के माध्यम से राज्य के सभी जिलों में कार्यरत है. सृजन फाउंडेशन उन संस्थाओं की भी मदद करती आ रही है जो गरीबी, सामाजिक बहिष्कार, लैंगिक भेदभाव, बाल श्रम, मानव तस्करी और लिंग आधारित हिंसा के संरचनात्मक कारणों को चुनौती देने के लिए जुटे हैं और अभियान चला रहे हैं.

मिशन:

गरीबों, हाशिए और बहिष्कृत समुदायों को उनके सुविधाओं और अधिकारों की माँग के लिए सशक्त बनाना. रेप्लिकेशन के लिए प्रत्यक्ष हस्तक्षेपों के माध्यम से जमीनी स्तर पर विकास के सफल मॉडल बनाना. सामूहिक कार्रवाई को बढ़ावा देना तथा वंचित समुदाय, विशेषकर महिलाओं और बच्चों के जीवन को प्रभावित करने वाले संस्थानों को प्रभावित करने के लिए सिविल सोसायटी संगठनों की क्षमता विकसित करना.

लक्ष्य:

- झारखंड राज्य में सबसे अधिक कमजोर, हाशिए पर और सामाजिक रूप से बहिष्कृत समुदायों (विशेषकर महिलाओं और बच्चों) के समावेशी और न्यायसंगत विकास के लिए प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाना. इसके लिए प्रत्यक्ष हस्तक्षेप, सामुदायिक संगठनों और सामाजिक संस्थाओं के क्षमता निर्माण तथा विकास के मॉडल के निर्माण को बढ़ावा देना. लक्षित समूह के अधिकारों के लिए आवाज उठाना और अधिकारों के प्राप्ति हेतु उन्हें मदद करना.

प्रमुख उद्देश्य:

- देखभाल की आवश्यकता वाले बच्चों के सुविधाओं और अधिकारों का संरक्षण करना. देखभाल तथा बाल संरक्षण के हस्तक्षेप मॉडल का प्रदर्शन करना.
- सशक्त, लिंग संवेदनशील और हिंसा मुक्त समाज के लिए जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं की गरिमा और भागीदारी के साथ सुविधाओं और अधिकारों की रक्षा करना.
- गरीब और हाशिए के लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए स्थायी कृषि और आजीविका के विकल्पों का मॉडल तैयार करना.
- जमीनी और नीति, दोनों स्तरों पर महिलाओं और बच्चों के जीवन को प्रभावित करने वाले मुद्दों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए उनकी क्षमता और तकनीकी विशेषज्ञता का निर्माण करके सीबीओ और नागरिक समाज संगठनों के बीच सामूहिक कार्रवाई को बढ़ावा देना.
- जेंडर, बाल अधिकारों, बाल संरक्षण और आजीविका पर उत्कृष्टता का केंद्र बनने हेतु कुशल और प्रभावी कामकाज के लिए संस्था की क्षमताओं का विकास करना.
- राज्य में बंधुवा मजदूरी, मानव तस्करी, बाल विवाह, डायन कुप्रथा जैसी कुरीतिओं को समाप्त करना तथा गमन के अधिकार का संरक्षण करते हुए सुरक्षित गमन को बढ़ावा देना.

संस्था का मूल्य बोध:

धर्मनिरपेक्षता और समावेशन, लैंगिक संवेदनशीलता, साझेदारी, समुदाय सर्वप्रथम, जवाबदेही और पारदर्शिता, तथा कार्य संस्कृति संस्था के प्रमुख मूल्यबोध हैं.

प्रमुख हस्तक्षेप क्षेत्र:

महिला सशक्तिकरण और लैंगिक न्याय, बाल अधिकार और संरक्षण, स्वास्थ्य, सतत कृषि, क्षमता विकास, सुरक्षित गमन, नेटवर्किंग एवं पैरवी.

- सृजन फाउंडेशन लिंग, जाति, पंथ, जातीय और अन्य सामाजिक भेदभावों से परे, राजनीतिक दलों से स्वतंत्र एक धर्मनिरपेक्ष संगठन है और अपनी नीति और कार्यक्रमों में सभी के लिए अवसरों की समानता के लिए प्रतिबद्ध है.

प्रशिक्षण मार्गदर्शिका के उपयोग हेतु निर्देश

सहजकर्ता के लिए यह आवश्यक है कि वे मार्गदर्शिका का अध्ययन प्रशिक्षण से पहले कर लें और सत्र के अनुसार प्रशिक्षण सामग्री एवं वितरण हेतु पठन-पाठन सामग्री की व्यवस्था कर लें. जब सहभागी अपना ज्ञान और अनुभव साझा कर रहे हों तब सहजकर्ता जानकारी फिर से पढ़ सकते हैं. सहभागिता, परिचर्चा एवं विमर्श को प्रोत्साहित करें पर साथ ही-

- व्यक्तिगत, धार्मिक, जातिगत, राजनीतिक टिप्पणी से बचें
- अनावश्यक उदहारण देने से बचें,
- मुद्दे से भटकाव को नियंत्रित करें
- समय का ध्यान रखें. बहुत तेज या बहुत धीमा न हों.
- अनावश्यक बहस को रोकें.
- चर्चा के दौरान सहभागियों को बगल में बैठे साथियों के चर्चा बजाय बड़े समूह में चर्चा करने को कहें.
- व्यक्तिगत या निजी उदाहरण के समय गोपनीयता के महत्व पर अवश्य चर्चा करें.

प्रशिक्षण मार्गदर्शिका के उपयोग की प्रक्रिया

- प्रशिक्षण का संचालन खुशनुमा माहौल बनाते हुए करें. प्रश्न सहज भाषा और मजाकिए लहजे में पूछें.
- चर्चा की शुरुआत रोजमर्रा की बातों से करें. गाँव-घर की चर्चा करते हुए इसे गतिविधि से जोड़ दें.
- प्रश्न या जानकारी पढ़े नहीं बल्कि उसे सहजता से पूछें या बताएं. हो सके तो सरल अभिनय कर पूछें.
- एक प्रश्न का जवाब मिलने पर ही दूसरा प्रश्न पूछें. प्रश्न का जवाब न मिलने पर उदाहरण सहित प्रश्न दोहरायें.
- जवाब सही होने पर उचित प्रतिक्रिया दें.
- सही जवाब नहीं मिलने पर मार्गदर्शिका में लिखित जवाब बताएं, सबसे पूछें क्या वे सहमत हैं?
- प्रश्न पूछने से पूर्व जवाब भी पढ़ लें. यह प्रश्न के उद्देश्य एवं संभावित उत्तर से अवगत कराएगा.
- पीयर लीडर्स का जवाब गलत होने पर या अतिरिक्त जानकारी के लिए संकेत दे, पूरक प्रश्न पूछें.
- विभिन्न जानकारियों को आपस में जोड़ते हुए आगे बढ़ें. आवश्यकतानुसार स्पष्टीकरण दें.
- पीयर लीडर्स अनेक जवाब दे सकतें हैं. सही जवाब पर ध्यान दें और उसी से विमर्श को आगे बढ़ाएं.
- यदि दो विपरीत जवाब आतें हैं तो स्पष्टीकरण/जवाब का आधार पूछें और सही निष्कर्ष बताएं.
- जवाब स्वयं देने के बजाय दुसरे पीयर लीडर्स से जवाब निकालने का प्रयास करें.
- जो सहभागी कम भाग ले रहे हों उन्हें भाग लेने और अपनी विचारों को व्यक्त करने के लिए प्रेरित करें.
- चर्चा के अंत में सत्र से संबंधी प्रतिक्रिया, सलाह लें.

उदाहरण, घटना और शब्दावली:

मार्गदर्शिका में दिए गए उदाहरण से मिलता-जुलता तात्कालिक उदाहरण या घटना का वर्णन किया जा सकता है. शब्दों का प्रयोग भी पीयर लीडर्स के सुविधा के अनुसार किया जा सकता है.

जानकारी बनाम समझ:

सहजकर्ता को उसके ज्ञान के कारण लगता है कि प्रशिक्षणार्थियों को सब कुछ समझ में आ गया होगा, पर अक्सर ऐसा होता नहीं है. अतः एक जानकारी को एकाधिक बार दोहरायें. हर गतिविधि के बाद उस सत्र के प्रमुख सीखों को दोहरायें.

याद रखें स्थिति का सर्वोत्तम उपयोग एक एक अच्छे सहजकर्ता का महत्वपूर्ण गुण है.

पंचायत सदस्यों के लिए प्रशिक्षण मार्गदर्शिका

एक दिवसीय

#		मुद्दा	विषयवस्तु	पद्धति	उद्देश्य
1	परिचय	परिचय	परिचय	जोड़ी अभ्यास	• सहभागियों के पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी • सहभागी एक दूसरे को जान पाएंगे • झिझक समाप्त करना
			बुनियादी नियम	ब्रेनस्टार्मिंग	
			प्रशिक्षण से अपेक्षाएं	लेखन कार्य	
			कार्य के दौरान प्रमुख चुनौतियां	ब्रेनस्टार्मिंग	
			स्वयंसेवकों का चयन	चयन	
2	मुद्दे की समझ और परिप्रेक्ष्य निर्माण	बाल विवाह -एक समझ	बाल विवाह एवं शीघ्र विवाह क्या है?	प्रश्नोत्तर	• बाल विवाह पर समझ बनाना • बाल विवाह के कारणों पर समझ बनाना
			बाल विवाह के कारण	लेखन कार्य	
3		बाल विवाह संबंधी सामाजिक मानदंड	संबंधित सामाजिक मानदंडों की पहचान	वीडियो, रोल प्ले	• बाल विवाह संबंधी सामाजिक मानदंडों की पहचान और प्रभाव पर की समझ बनाना
			लड़कियों के साथ भेदभाव की पहचान और उसका प्रभाव	समूह कार्य	
4		बाल विवाह का दुष्प्रभाव	बाल विवाह के दुष्प्रभाव के समझ	परिचर्चा	• बाल विवाह के दुष्प्रभाव और इसके गंभीरता पर समझ बनाना
5	प्रमुख प्रावधान और पंचायत सदस्यों की भूमिका	संरक्षण तंत्र	हितधारकों की पहचान	परिचर्चा, खेल	• संरक्षण तंत्र की मूल-भूत जानकारी और विभिन्न हितधारकों के भूमिका पर समझ बनाना
			संरक्षण तंत्र	पीपीटी, चर्चा	
			विभिन्न हितधारकों की भूमिका	खेल, पीपीटी, चर्चा	
6		बाल विवाह संबंधी कानूनी प्रावधान	बाल विवाह संबंधी कानून	परिचर्चा	• बाल विवाह से संबंधित कानून की जानकारी • बाल विवाह से संबंधित कानून और पंचायत के भूमिका पर समझ बनाना
			बाल विवाह निषेध अधिनियम	पीपीटी, चर्चा	
			पोक्सो अधिनियम	पीपीटी, चर्चा	
			अन्य संबंधित अधिनियम	पीपीटी, चर्चा	

#		मुद्दा	विषयवस्तु	पद्धति	उद्देश्य
7		बाल विवाह संबंधी योजनायें	बाल विवाह से संबंधित योजनायें	पीपीटी, चर्चा	• बाल विवाह से संबंधित योजनाओं के जानकारी में वृद्धि करना.
			मानक संचालन प्रक्रिया	पीपीटी, चर्चा	
			खुला सत्र	चर्चा	
8	कार्य योजना	कार्य योजना निर्माण	सहभागियों द्वारा कार्य योजना निर्माण	लेखन कार्य	• व्यक्तिगत कार्य योजना बनाना
9		फीडबैक	प्रशिक्षण के बारे में फीडबैक	फोर्मेट भरवाना	• सुधार हेतु जानकारी

सत्र -1: स्वागत, परिचय और उद्देश्य

समय : 30 मिनट
पद्धति : परिचय और व्यक्तिगत चर्चा
सामग्री : कलर पेपर, स्केच, चार्ट पेपर, टेप

उद्देश्य :

- सहभागियों के पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी लेना
- सहभागीएक दूसरे को जान पाएंगे
- झिझक समाप्त करना

1.0 : शुभारंभ : अनौपचारिक

सभी सहभागियों से उनका हाल-चाल पूछें. साथ में यह भी पूछें कि आने में उन्हें कोई विशेष दिक्कत तो नहीं हुई? क्या उनका कोई साथी रास्ते में है? यदि हाँ तो वे कितने देर में पहुंच जाएंगे?

1.1 : स्वागत, परिचय

अपना परिचय देते हुए सभी सहभागियों का संस्था और परियोजना की ओर से स्वागत करें. प्रशिक्षण की अवधि बताते हुए यह उम्मीद जताएं कि प्रशिक्षण से वे कुछ ऐसा सीख पाएंगे जो उनके काम को और प्रभावी बनाएगा. हम सिर्फ वही नहीं सीखते जो हमें प्रशिक्षक या सहजकर्ता बताते हैं बल्कि दुसरे सहभागियों के विचारों से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं. इसलिए जरूरी है कि पहले हम एक दूसरे को जान लें. सभी सहभागियों को बारी-बारी से अपना परिचय देने के लिए कहें. संस्था के प्रतिनिधि और सहजकर्ता भी अपना परिचय दे दें.

1.2 : सत्र के दौरान सभी सहभागियों हेतु बुनयादी नियम

ब्रेनस्टार्मिंग:

सत्र के सुचारु संचालन के लिए कुछ बुनियादी नियम सहभागियों से पूछ कर बनायें. जैसे -

- सत्र के दौरान मोबाइल साइलेंट मोड में रखें. वाट्सअप संदेश या किसी भी तरह के अन्य संदेश लिख कर अपनी सीख की प्रक्रिया को बाधा नहीं पहुचाएंगे.
- अति आवश्यक न हो तो सत्र के बीच से न उठें.
- एक-एक कर बोलें. अपनी बात स्पष्टतः और संक्षेप में रखें.
- यदि किसी को आवश्यक कार्य से बाहर जाना है तो चुपचाप चले जाएँ और जल्द बिना अनुमति के वापस आकर बैठ जाएँ.
- समय का पालन करें. सत्र के दौरान आपस में व्यक्तिगत बात ना करें.
- दूसरों के विचारों को ध्यान से सुने और उनका तर्क समझने का प्रयास करें. असहमत होने पर अपना तर्क रखें.

- चर्चा के दौरान यदि नोट लेने से मना किया जाये तो लिखने के बजाय चर्चा पर ध्यान दें और इसमें भाग लें.
- हर व्यक्ति की राजनीतिक झुकाव होती है. चर्चा को राजनीतिक दृष्टिकोण से देखने के बजाय सामाजिक दृष्टिकोण से देखने का प्रयास किया जाये.
- सभी की भागीदारी सुनिश्चित करने में सहयोग करें. इसे रोचक बनाने के लिए कहा जा सकता है कि-
    - यदि कोई सहभागी चर्चा के दौरान बोलना नहीं चाहते तो उन्हें कोई बाध्य नहीं करेगा. वह शांत रह सकती है. लेकिन एक शर्त है. सत्र समाप्त होने के बाद उन्हें एक गीत गाना पड़ेगा. यदि गाना नहीं आता तो एक चुटकुला सुनाना पड़ेगा. अब निर्णय आपका है. आप समूह के साथ बातचीत करना चाहते हैं या अकेले?

1.3 : प्रशिक्षण से अपेक्षाएं और उद्देश्य

लेखन कार्य:

- सभी सहभागियों को एक-एक रंगीन कार्ड दें. उन्हें इस प्रशिक्षण से अपनी एक अपेक्षा लिखने के लिए कहें.
- यदि वे लिख लेते हैं तो कार्ड लेते जाएँ और उन्हें वर्गीकृत कर चार्ट पेपर पर चिपकाते जाएँ.
- अंत में वर्गीकृत अपेक्षाओं को पढ़कर सुनाएं और यह स्पष्ट करें के प्रशिक्षण में किन-किन अपेक्षाओं को पूरा किया जा सकेगा.
- संस्था और परियोजना के बारे में संक्षेप में जानकारी दें.

उद्देश्य:

- बाल विवाह और शीघ्र संबंध की रोकथाम हेतु पंचायत सदस्यों का जानकारी और क्षमता विकसित करना.
- बाल विवाह निवारण में पंचायत सदस्यों के सक्रीय भागीदारी हेतु उनके भूमिका और जिम्मेदारियों पर समझ विकसित करना.
- बाल विवाह मुक्त गाँव के निर्माण हेतु पंचायत सदस्यों के भूमिका एवं जिम्मेदारियों पर समझ विकसित करना.
- बाल विवाह संबंधी सरकार के विभिन्न कानूनों एवं प्रावधानों के अनुपालन हेतु आधार तैयार करना.

1.4 : कार्य के दौरान प्रमुख चुनौतियां

ब्रेनस्टार्मिंग:

सहभागियों से बाल विवाह के निवारण संबंधी जिम्मेदारियों के निर्वहन में आने वाली जानकारी, कौशलता, नागरिकों और समाज तथा सहबद्धता संबंधी चुनौतियों पर चर्चा करें. इन्हें वर्गीकृत कर एक चार्ट पेपर में लिखते जाएँ. सभी चुनौतियाँ पढ़ कर सुनाएँ.

संभावित वर्गीकरण

- पंचायत सदस्यों के जानकारी, कौशलता संबंधी
- जानकारी की उपलब्धता संबंधी
- पारिवारिक, सामजिक मानसिकता और व्यवहार संबंधी
- संरक्षण तंत्र संबंधी
- व्यवस्थागत, लिंकेज या नेटवर्क संबंधी
- अन्य कोई

निष्कर्ष:

पंचायत सदस्यों की व्यक्तिगत और सामाजिक दोहरी भूमिका है. सरकार का एक हिस्सा होने के कारण सरकार के अधिनियमों और प्रावधानों का अनुपालन इनकी विशेष जिम्मेदारी है. विषय की गंभीरता के अनुसार चर्चा के लिए एक दिन पर्याप्त नहीं. सभी के सक्रीय भागीदारी और मुद्दे पर ही परिचर्चा से चुनौतियों पर चर्चा की जा सकती है तथा अपेक्षित अपेक्षाओं को पूरा किया जा सकता है. इसके लिए सभी का सहयोग आवश्यक है.

किसी एक गीत के साथ सत्र का समापन करें.

सत्र -2: बाल विवाह- एक समझ

उद्देश्य :

- बाल विवाह के बारे में समझ बनाना
- बाल विवाह के कारणों पर समझ बनाना

समय : 45 मिनट
पद्धति : प्रश्नोत्तर, ब्रेनस्टार्मिंग
सामग्री : विशेष नहीं

2.1 : बाल विवाह और अर्ली यूनियन क्या है?

सभी सहभागियों से प्रश्न पूछें. उन्हें जवाब के लिए प्रेरित करें. सही जवाब मिलने पर पूछें क्या कोई इस जवाब से असहमत है? अगर हाँ, तो क्यों? जवाब न मिलाने पर या अलग होने पर सही जवाब बता दें.

प्रश्न : सभी सहभागियों पूछें कि वे बाल विवाह से क्या समझते है?

उत्तर : 18 वर्ष से पूर्व लड़की का एवं 21 वर्ष से पूर्व लड़के का विवाह बाल विवाह कहलाता है.

प्रश्न : बाल या बच्चा शब्द से आप क्या समझते हैं?

उत्तर : 18 वर्ष तक का व्यक्ति बच्चा कहलाता है?

प्रश्न : जब बच्चा 18 वर्ष तक ही होता है तो लड़कों के स्थिति में यह बाल विवाह कैसे हुआ?

उत्तर : वयस्कता की उम्र 18 वर्ष है. लेकिन बाल विवाह के मामले में यह उम्र सीमा 21 वर्ष है. इसलिए इसे शीघ्र विवाह भी कहा जाता है.

प्रश्न : लड़कों के लिए विवाह की उम्र 21 वर्ष क्यों रखी गयी है?

विमर्श के लिए प्रेरित करें और जवाब संकलित करें.

निष्कर्ष:

यह माना जाता है कि परिवेश और जिम्मेदारियों के कारण लड़कियाँ, लड़कों के तुलना में जल्द परिपक्व हो जाती हैं. भारतीय समाज में आज भी पुरुषों को घर संभालने के लिए जिम्मेदार माना जाता है. यह जिम्मेदारी लड़के 21 वर्ष से पूर्व नहीं निभा पातें. लेकिन एक किशोर या किशोरी 18 साल का होते ही अचानक से वयस्क और कुशल नहीं बन जाते. उन्हें दुनियादारी समझने और स्वनिर्भर बनने में वक्त लगता है. अत: जब तक वे पूरी तरह कार्यात्मक वयस्क नहीं हो जाते, जो विवाह की जिम्मेदारियों को संभालने के लिए अति आवश्यक है तब तक विवाह की उम्र लड़कियों और लड़कों के लिए क्रमश: 18 वर्ष और 21 वर्ष में भी देरी करना समय की माँग है.

सहभागियों के क्षेत्र में बाल विवाह की स्थिति

ब्रेनस्टार्मिंग:

- जिन सहभागियों के क्षेत्र में बाल विवाह की घटनाएँ विगत तीन वर्षों में नहीं हुई है, हाथ उठायें.
- जिन सहभागियों के क्षेत्र में बाल विवाह की घटनाएँ विगत एक वर्ष में नहीं हुई है, हाथ उठायें.
- सहभागियों से उनके क्षेत्र में बाल विवाह की स्थिति के बारे में चर्चा करें.
- बाल विवाह के स्थिति पर चर्चा को निम्न प्रश्नों के आधार पर आगे बढ़ाएं –
    - क्या किसी टोला या गाँव में बाल विवाह के ज्यादा मामले हैं? अगर हाँ तो क्यों?
    - क्या किसी विशेष समुदाय में बाल विवाह के ज्यादा मामले हैं? अगर हाँ तो किसमे और क्यों?
    - क्या किसी विशेष स्थिति में बाल विवाह के ज्यादा मामले होते हैं? अगर हाँ तो क्या?

निष्कर्ष:

बाल विवाह सभी जगह व्याप्त है. पर कुछ विशेष समुदाय में बाल विवाह की दर ज्यादा है. यह भी देखा गया है कि सुदूर गाँव में बाल विवाह की घटनाएँ तुलनात्मक रूप से ज्यादा होती हैं.

2.2: बाल विवाह का कारण क्या है?

लेखन कार्य:

- सभी सहभागियों को एक रंगीन पेपर में बाल विवाह का एक-एक कारण लिखने के लिए कहें.
- सभी को एक-एक कर जवाब पढ़ने के लिए कहें.
- यदि संभावित जवाब से कुछ जवाब नहीं मिलें हैं तो उसे पढ़ें और सहभागियों की सहमती लेकर पेपर में लिखे. अगर किसी कारण पर प्रतिवाद होता है या उस पर विशेष जोर दिया जाता है तो उस पर चर्चा करें.

बाल विवाह के प्रचलित कारण:-

- रीति-रिवाज, परंपरा, प्रथा
- पारिवारिक सम्मान से जुड़ा पितृसत्तात्मक सामाजिक मानदंड-जैसे बेटी पराया धन,
- स्कूल छुट जाना, शिक्षा के सीमित अवसर, परिवहन की कमी, शिक्षा का निम्न गुणवत्ता
- प्रेम संबंध और इसके कारण गर्भाधान
- दहेज प्रथा, आपदा
- लड़कियों की असुरक्षा की भावना, विवाह का अच्छा प्रस्ताव
- लड़कियों की पवित्रता की मानसिकता, उंच-नीच हो जाना
- गरीबी- मायके द्वारा परिवार के आकार को कम करना,
- लड़के के परिवार के लिए अतिरिक्त मानव संसाधन
- सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के बारे में सीमित जानकारी
- खंडित परिवार, एकल अभिभावक,
- कानूनों का कमजोर पालन

बाल विवाह के कारणों का वर्गीकरण

वर्गीकरण:

05 चार्ट पेपर चिपका दें. अब सहभागियों से कारणों के प्रकार के अनुसार जवाब अलग-अलग चार्ट पेपर में उनसे पूछ कर चिपकाते जाएँ. इस कर हेतु किसी एक सहभागी की मदद ली जा सकती है.

संभावित वर्गीकरण:

- व्यक्तिगत या किशोरी संबंधी: किशोरी की शिक्षा और कौशल विकास का अवरुद्ध हो जाना
- पारिवारिक: गरीबी, विपत्तिग्रस्त परिवार
- सामुदायिक: जागरूकता की कमी
- सामाजिक मानदंड: पितृसत्तात्मक सामाजिक मानदंड, रीति-रिवाज
- कानूनी या व्यवस्थागत: कानून और योजनाओं का प्रभावी पालन का अभाव

पंचायत सदस्यों की भूमिका:

एक-एक वर्गीकृत कारणों को पढ़ते जाएँ और सहभागियों से पूछे कि क्या इस करान के निवारण में उनकी कोई भूमिका है. अगर है तो क्या? संक्षेप में पूछे. जवाब संकलित करते जाएँ. उन्हें बताएं कि उनकी भूमिका पर बाद में विस्तार से चर्चा होगी.

निष्कर्ष:

बाल विवाह मानवाधिकारों का उल्लंघन है. यह किशोरियों को उनके स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास और संरक्षण के अधिकार से पूरी तरह वंचित कर देता है. बाल विवाह के कुछ कारण स्थानीय हैं. परन्तु पूरे राज्य में अधिकतर कारण एक सामान ही हैं. बाल विवाह का सर्वाधिक प्रभाव लड़कियों के जिंदगी पर पड़ता है परन्तु लड़कियाँ खुद इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं. बाल विवाह के कारणों के निवारण में पंचायत सदस्यों की विशेष भूमिका है.

सत्र- 3: बाल विवाह से संबंधित सामाजिक मानदंड

समय : 60 मिनट
पद्धति : प्रश्नोत्तर, ब्रेनस्टार्मिंग
सामग्री : जुग-जुग- वीडियो, पीपीटी

उद्देश्य :

- बाल विवाह संबंधी सामाजिक मानदंडों की पहचान और प्रभाव पर की समझ बनाना

3.1: बाल विवाह से संबंधित सामाजिक मानदंडों की पहचान

वीडियो:

वीडियो “जेहि कोखे बेटा जन्में, वही कोखे बेटीया” (#ShavingSterotypes Gillette) दिखाएँ.

विमर्श:

- क्या ऐसी मानदंड आपके यहाँ भी है ?
- क्या सामाजिक मानदंडों का वास्तविकता से कुछ लेना-देना होता है?
- क्या आपको कभी लगा है कि लड़कियाँ कुछ काम कर सकती है, लेकिन समाज उसे रोकती है.
- लैंगिक भेदभाव वाले सामाजिक मानदंडों को पहचाने.

चर्चा क्रीपर विधि (एक लाइन से) से प्रारंभ करें. थोड़ी देर बाद पॉपकॉर्न विधि (यहाँ-वहाँ से) अपना लें. यदि संभावित जवाब के कुछ बिंदु चर्चा में नहीं आयें हैं तो पढ़कर सुनाएँ और उनसे पूछें कि क्या ऐसा भी होता है?

- बेटे के जन्म पर उत्सव मनाना, मिठाई बांटना
- बेटे का देखरेख और पोषण बेहतर
- बेटे का मुँह जुट्ठी सात माह में, बेटी का 05 माह में
- बेटे का बेहतर शिक्षा
- बेटी को घरेलु काम-काज की जिम्मेदारी
- बेटे के नामकरण पर उत्सव, बेटी का ख़ामोशी से
- बेटे का पालन-पोषण ज्यादा जतन से
- बेटे के चाहत में भ्रूण हत्या
- बेटे के खेलने के लिए नया खिलौना
- बेटी के अवागमन पर प्रतिबंध
- बेटे को खेलने के लिए बैट-बॉल या बन्दुक तथा बेटी को खेलने के लिए गुड़िया

रोल प्ले:

किन्ही सात सहभागियों को अभिभावक बना दें. मान लिया कि उन्होंने समाज के दबाव में आकर अपनी बेटी की शादी कर दी है. कोई दो सहभागी शिकायत पर जाँच करने पहुंचते हैं. अभिभावक विवाह को सही ठहराने के लिए समाज और रीति-रिवाज को ढाल बना कर अनेक तर्क देतें हैं. तर्कों को संकलित करते जाएँ.

संभावित जवाब:

बेटी पराया धन होती है	बेटी परिवार का इज्ज़त होती है
बेटी का विवाह गंगा नहाना जैसा काम है	ससुराल ही लड़की का अपना घर होता है
लड़की ज्यादा पढ़-लिख जाएगी तो वर नहीं मिलेगा	लड़की के ज्यादा पढ़ने से ज्यादा दहेज़ लगता है
माहवारी के साथ लड़की शादी लायक हो जाती है	खूंटा से बंधी गाय ही सुरक्षित होती है
वधु का उम्र वर से 5 से 10 साल कम होना चाहिए	विवाह के बाद ही यौन संबंध बनाना चाहिए

निष्कर्ष:

बाल विवाह अपने आप में सामाजिक नियम नहीं है, पर अनेक सामाजिक मानदंड बाल विवाह का कारण हैं. इसे समुदाय की संस्कृति और परंपरा के तौर पर देखा जाता है तथा अक्सर इसे किशोरी की हित में उठाया गया कदम के रूप में प्रस्तुत किया जाता है. कानूनी प्रावधान से अनभिज्ञ या उसके परिणामों से बेखबर अभिभावक सामाजिक मानदंडों के ताना-बाना में इसके दुष्परिणामों को समझ नहीं पाते. बाल विवाह के रोकथाम के लिए इससे संबंधित सामाजिक मानदंडों को बदलना अनिवार्य है.

3.2: लड़कियों के साथ भेदभाव की पहचान और उसका प्रभाव

समूह चर्चा:-

सहभागियों को तीन समूह में बांटे. उन्हें निम्न विषय पर चर्चा कर प्रस्तुतीकरण हेतु तैयारी करने के लिए कहें. चर्चा का समय 10 मिनट निर्धारित करें.

- **समूह 1:** लड़कियों के साथ भेदभाव की पहचान
- **समूह 2:** लड़कियों के साथ भेदभाव का प्रभाव
- **समूह 3:** लड़कियों के साथ भेदभाव का सामाजिक मानदंड और रीति-रिवाज रूपी आवरण

प्रस्तुतीकरण:

- अब सभी समूह को 05-05 मिनट में प्रस्तुतीकरण के लिए कहें.

- प्रस्तुतीकरण का नियम निर्धारित कर दें.
- समूह का प्रस्तुति के बाद अन्य सहभागियों से राय लें.
- प्रस्तुति में आवश्यक सुधार करते जाएँ.
- सभी समूह को बेहतर प्रस्तुति के लिए ताली बजवा कर धन्यवाद दें.

परिचर्चा:

भेदभाव की पहचान: भेदभाव की बेहतर समझ के लिए चिन्हित भेदभावों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत करें. प्रस्तुति के अतिरिक्त बिन्दुओं को जोड़ दें.

- शिशु के पालन-पोषण, देख-रेख में भेदभाव
- खान-पान, रहन-सहन, पहनावे में भेदभाव
- पढ़ाई के अवसरों में भेदभाव
- घर की जिम्मेदारी और मनोरंजन में भेदभाव
- बाहर जाने, निर्णय लेने, खेल-कूद, खर्च करने में भेदभाव
- बोलने, हंसने, सोने, उठने के समय में भेदभाव
- कौशल विकास के अवसर में भेदभाव

लड़कियों के साथ भेदभाव का प्रभाव: किशोरियों के साथ होने वाले भेदभाव का प्रभाव निम्नलिखित हो सकते हैं. प्रस्तुति के अतिरिक्त बिन्दुओं को जोड़ दें.

- कमजोर स्वास्थ्य, उचित विकास नहीं होता है, बीमारी की संभावना बढ़ जाती है.
- शिक्षा से वंचित रह जाती हैं, शिक्षा अधूरा छोड़ना पड़ता है.
- उचित उच्च शिक्षा और कौशल विकास का अवसर नहीं मिलता
- खेल-कूद और मनोरंजन का समय नहीं मिलता, बचपन प्रभावित होता है
- बाल विवाह, घरेलु हिंसा का शिकार हो सकती है.
- विभिन्न प्रकार के हिंसा, शोषण, दुर्व्यवहार, छेड़-छाड़, दुष्कर्म आदि का शिकार हो जाती हैं.
- अपने जीवन का निर्णय नहीं ले सकतीं. अनेक बार समझौता करना पड़ता है.
- डर के कारण आत्मविश्वास कम हो जाता है, निर्णय लेने में डर लगता है.
- संकोची और दब्बूपन का शिकार हो सकती हैं. अपनी बात ठीक से नहीं रख पातीं.
- रोजगार, स्व-निर्भरता और विकास के अवसर कम हो जाते हैं.
- पुरुषों पर निर्भर हो जाती हैं.

3.3: लड़कियों के साथ भेदभाव का सामाजिक मानदंड और रीति-रिवाज रूपी आवरण

समूह चर्चा:-

जेहि कोखे बेटा जन्में, वही कोखे बेटीया वीडियो देखने के बाद कुछ लड़कियों से भेदभाव वाले कुछ सामाजिक मानदंडों की पहचान की गई थी. समूह के प्रस्तुति और उस चर्चा के आधार पर भेदभाव निम्नलिखित हो सकते हैं-

- बच्चे का जन्म: बेटा के जन्म पर नगाड़ा या बर्तन पीटना, बेटी के जन्म पर घर के आगे झाड़ू टांगना/उदासी.
- माँ को प्रतिक्रिया: वंश चलाने के लिए लड़का पैदा करने पर बधाई, लड़की पैदा करने के लिए ताना.
- पालन-पोषण : बेटा को बेहतर पोषण और देखभाल जबकि बेटी को थोड़ी उपेक्षा.
- खिलौना: लड़का के लिए बैट-बॉल या अन्य नया खिलौना, लड़की के लिए गुड़िया या कुछ भी नहीं.
- शिक्षा: लड़का का नामाँकन प्राइवेट स्कूल में, जबकि लड़की का नामाँकन सरकारी विद्यालय में.

- खेलकूद: लड़का का बाहर खेलने जाना, जबकि लड़की को घर का काम करने के लिए बोला जाना.
- जिम्मेदारी: लड़कों को कुछ नहीं या दूध लेन जैसा बाहर का काम, लड़कियों का छोटे बच्चों को संभालना.
- काम: लड़का को बाहर का काम या खरीददारी, लड़की को झाड़ू लगाना या घर का काम.
- शिक्षा: लड़का को ऋण लेकर भी पढ़ाया जाना जबकि लड़की को यह कह कर पढ़ाई बंद करा देना कि तुम ज्यादा पढ़-लिख कर क्या करोगी, आखिर तुम्हें तो चूल्हा-चौका/घर ही संभालना है.
- शिक्षा का विषय: लड़का के लिए साइंस या इंजीनियरिंग जबकि लड़की के लिए होम या पोलिटिकल साइंस.
- निर्णय का अधिकार: लड़कियों और महिलाओं को जनी जाईत या औरत जात कह कर निर्णय प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाता है जबकि पुरुषों का हर निर्णय श्रेष्ठ मन जाता है.
- सामाजिक प्रतिबन्ध: लड़कियों और महिलाओं पर सामजिक मान-मर्यादा के नाम पर अनेक प्रतिबन्ध लगायें गएँ हैं. उनके अनेक व्यवहार अनुचित माने जाते हैं जैसे- जोर से हंसना या बोलना. कुछ अवसरों पर उन्हें तात्कालिक बहिष्कृत भी किया जाता है जैसे- माहवारी के समय पूजा-पाठ से. वहीं पुरुषों के अनेक गलत व्यवहारों को अभिमान के तौर पर देखा जाता है या "मर्द जात" के नाम पर नजरंदाज कर दिया जाता है.

निष्कर्ष:

पितृसत्तात्मक व्यवस्था के कारण किशोरियों और महिलाओं के साथ घर के अंदर और बाहर कई तरह के भेदभाव किए जाते हैं, उन्हें कमतर आंका जाता है. जीवन-पर्यंत वे पुरुषों के अधीन रहतीं हैं. इसका दुष्प्रभाव किशोरियों और महिलाओं के जीवन के परिवार और समाज पर भी पड़ता है. जिस परिवार में यह भेदभाव होता है वह विकास के दौड़ में पिछड़ जाता है.

किशोरियों के साथ भेदभाव छोटे-छोटे व्यवहारों से जाने अनजानें व्यवहारों से प्रारंभ होता है जो वास्तव में जेंडर आधारित लिंग भेदभाव वाले सामाजिक मानदंडों, रीति-रिवाजों तथा प्रथाओं से प्रभावित होती हैं. ये सामाजिक मानदंड, रीति-रिवाज तथा प्रथा महिला-पुरुष दोनों को प्रभावित करते हैं, अतः लड़कियों के साथ भेदभाव वाले अनेक व्यवहार महिला-पुरुष दोनों के द्वारा प्रदर्शित किये जाते हैं.

किशोरियों के साथ भेदभाव वाले सामाजिक मानदंड, रीति-रिवाज तथा प्रथा से महिलाओं पर अनेक प्रतिबंध लगते हैं जबकि पुरुषों को इसका अनुचित लाभ मिलता है अतः धीरे-धीरे यह शोषण का माध्यम भी बन जाता है. निर्णय प्रक्रिया में पुरुषों के वर्चस्व के कारण पुरुषों द्वारा इनका इस्तेमाल ज्यादा होता है.

अधिकतर घटनाओं में ये देखा गया है कि समुदाय भी ऐसे व्यवहारों में बिना सोचे समझे सहयोग करता है क्योंकि उनको लगता है कि ये परम्परा पुरखों से चली आ रही है और इसका निर्वहन करना उनका धर्म और परम कर्तव्य है.

चाय के लिए 15 मिनट का ब्रेक

सत्र- 4: बाल विवाह का दुष्प्रभाव

समय : 60 मिनट
पद्धति : खेल, ब्रेनस्टार्मिंग, पीपीटी
सामग्री : पीपीटी

उद्देश्य :

- बाल विवाह के दुष्प्रभाव और इसके गंभीरता पर समझ बनाना

4.1: बाल विवाह का दुष्प्रभाव

पावर वाक :

02 सहभागियों को आमत्रित करें. एक को कमल और दूसरे को कमला की पहचान दें. दोनों से कहें कि आप कुछ स्टेटमेंट पढ़ेंगे. यदि उनके लिए स्टेटमेंट सटीक लगे और वो उस स्टेटमेंट से सहमत हो तो एक कदम आगे और चुनौतीपूर्ण लगने पर एक कदम पीछे करें. दोनों को एक साथ अगल-बगल खड़ा कर दें. अन्य सहभागियों से उनका अवलोकन करने के लिए कहें.

- इंटर के छात्र 20 साल के कमल की दसवी की छात्रा 17 वर्षीया कमला के साथ तय कर दी जाती है.
- कमला के घर वाले सोचते हैं कि शादी से परिवार में एक व्यक्ति का बोझ कम हो जायेगा. जबकि कमल के घर वाले सोचते हैं, कि घर में एक और काम करने वाली आ जाएगी.
- दोनों पढ़ाई के नाम पर शादी का विरोध करते हैं. कमल को कहा जाता है, पढ़ने से किसने रोका है, शादी के बाद पढ़ते रहना. कमला को कहा जाता है पढ़-लिख कर क्या करोगी, आखिर घर ही संभालना है.
- शादी के बाद कमल के दोस्त उसे चिढ़ाते हैं- "अरे अभी तक तुम बाप नहीं बने हो". परिवार के कुछ लोग कमला की झाड़-फूंक करवाने की सलाह देते हैं.
- कुछ समय बाद कमला गर्भवती हो जाती है. परिवार वाले खुश हैं. कमल पढ़ाई के लिए शहर चला जाता है. पर उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता. वह कमला के बारे में सोचता रहता है.
- कुछ दिनों बाद कमला एक बेटी को जन्म देती है. परिवार को बेटे की चाहत थी. वे खुश नहीं हैं.
- कमला फिर गर्भवती हो जाती है. वह पहले बच्चे पर ध्यान नहीं दे पाती. परिवार को वंश चलाने के लिए बेटे की उम्मीद है. कमल के दोस्त चिढ़ाते हैं- "तुम कैसे मर्द हो, एक बेटा पैदा नहीं कर सकते".
- कमला को यह सब अच्छा नहीं लगता. उसे भूख नहीं लगती. वह बहुत कमजोर हो जाती है. उसका परिवार के अन्य सदस्यों से झगड़ा होता रहता है. कमल चिंतित रहने लगता है.
- कमला बीमार रहने लगती है. कमल पढ़ाई छोड़ कर घर आ जाता है. पैसे के अभाव में सही इलाज नहीं होता.
- कमल इलाज के लिए कमला को शहर ले जाता है. डॉक्टर कहते हैं कि इलाज लम्बा चलेगा.

कमला और कमल से पूछें उन्हें कैसा लगा और क्यों? जवाब संकलित करें. कमल और कमला की भूमिका निभाने वाले सहभागियों को धन्यवाद कहे और उनके लिए ताली बजवाएं

विमर्श:

कमला के जीवन पर पड़ने वाला असर	कमल के जीवन पर पड़ने वाला असर
• बिना मर्जी की शादी, अधिकार का हनन	• बिना मर्जी की शादी
• बचपन समाप्त हो जाता है	• बचपन पर असर पड़ता है
• पढ़ाई छुट जाती है, जानकारी से वंचित	• दोस्तों और समाज का दबाव
• उसे सिर्फ एक काम करने वाली समझा जाता है	• चिंता, पढ़ाई में मन नहीं लगता है
• घरेलु हिंसा, मानसिक तनाव, बच्चे पर ध्यान नहीं	• पढ़ाई छुट जाती है, कमाने के सीमित अवसर.
• ख़राब स्वास्थ्य, बीमारी, कुपोषित,	• अपने निर्णय लेने में सक्षम नहीं.
• अपने निर्णय नहीं ले सकती. भेदभाव	• पारिवारिक उलझन, पैसे की कमी
• कोई पहचान नहीं बनी. गरीबी चक्र	• गरीबी चक्र

प्रश्न:

- सहभागियों से पूछें, क्या यह आपके गाँव की कहानी लगती है?
- बाल विवाह का और क्या दुष्प्रभाव किशोर और किशोरी के जीवन पर पड़ता है?
- क्या बाल विबाह का दुष्प्रभाव केवल किशोर और किशोरियों पर ही पड़ता है? अगर किन्हीं और पर भी पड़ता है तो किन पर? और क्या दुष्प्रभाव?

किशोर और किशोरी के जीवन पर बाल विवाह के अन्य दुष्प्रभाव:

- बच्चे के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास प्रभावित होता है.
- यौन संक्रमित बिमारियों, एड्स आदि की संभावना ज्यादा होती है.

- जच्चा-बच्चा मृत्यु दर बढ़ जाती है.
- कौशल अभाव के कारण कम आय की संभावना.

सहभागियों का जवाब संकलित करें.

परिवार पर पड़ने वाला प्रभाव:

• परिवार बीमारी और गरीबी के चक्र में फंस जाता है	• बच्चे कमजोर पैदा होते हैं.
• पारिवारिक कलह, घरेलु हिंसा ज्यादा होती है	• नवजात का देखभाल सही नहीं होता
• कौशल में कमी के कारण विकास के कम अवसर	• समस्या का सामना करने की कौशल सीमित होती है
• जच्चा-बच्चा के बीमारी और मौत की ज्यादा संभावना	• सीमित क्षमता के कारण बच्चों का देखभाल ठीक से नहीं होता
• कलह की वजह से रिश्तों में टूटन	• बच्चों के लिए गुणात्मक शिक्षा का अभाव
• कानून के उल्लंघन के कारण परिवार के सदस्यों को सजा हो सकती है. कानूनी उलझन और दुश्चक्र	

देश और समाज पर पड़ने वाला प्रभाव:-

- देश के आर्थिक विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ता है.
- जनसंख्या नियंत्रण पर विपरीत प्रभाव पड़ता है.
- शीघ्र गर्भावस्था के कारण जनसंख्या दर 11% तक बढ़ जाती है.

निष्कर्ष:

बाल विवाह का दुष्प्रभाव लड़कियों पर ज्यादा पड़ता है. पर इसके दुष्प्रभाव से लड़के और परिवार भी अछूते नहीं रहते. बाल विवाह से परिवार की सुख-चैन, शांति, आर्थिक स्थिति, मानसिक स्थिति, विकास के अवसर आदि पर भी पड़ता है. अवयस्क माँ से जन्म लेने वाले बच्चे भी कमजोर होते हैं. उचित परवरिश के अभाव में उनका भविष्य भी प्रभावित होता है, नतीजन विकास की दौड़ में परिवार पिछड़ता चला जाता है.

बाल विवाह मानवाधिकारों का उल्लंघन है. यह किशोरियों को उनके स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास और संरक्षण के अधिकार से पूरी तरह वंचित कर देता है. किशोरियों के भी अपने सपने होते हैं लेकिन वे अपने जीवन के बारे में निर्णय लेने का अधिकार से वंचित हो जाती हैं.

अनेक परिवार ने बाल विवाह का दंश झेला है. उसे तो मिटाया नहीं जा सकता लेकिन दूसरों को बचाया जरुर जा सकता है. अतः जीवन पर्यंत परेशानी और पिछड़ेपन के जगह विवाह के लिए कुछ वर्ष का इंतज़ार ही बेहतर है.

भोजन के लिए 45 मिनट का ब्रेक

सत्र- 5: संरक्षण तंत्र

समय : 45 मिनट
पद्धति : वाद-विवाद, ब्रेनस्टार्मिंग, पीपीटी
सामग्री : पीपीटी

उद्देश्य :

- संरक्षण तंत्र की मूल-भूत जानकारी और विभिन्न हितधारकों के भूमिका पर समझ बनाना

5.1: हितधारकों की पहचान

परिचर्चा:

भोजन के बाद सभी सहभागियों का स्वागत करें. उन्हें पहले सत्र का कोई एक-एक सीख साझा करने के लिए कहें. सहभागियों को दो समूह में बाँट दें (आमने-सामने). एक समूह को निम्न मुद्दा के पक्ष में और दूसरे को विपक्ष में अपनी बात रखने के लिए कहें.:

मुद्दा : बाल-विवाह से पंचायत प्रतिनिधि ज्यादा प्रभावित नहीं होते हैं.

- जवाब संकलित करें

निष्कर्ष:

बाल विवाह के रोकथाम, जागरूकता, सूचना सहित संभावित खतरे वाले परिवार को सरकार के योजना से जोड़ने के लिए पंचायत प्रतिनिधि जिम्मेदार हैं. नाबालिग पत्नी के साथ सहमती से भी संबंध बनाना बलात्कार के समान है. यही नहीं यदि किसी सामाजिक पद के व्यक्ति को नाबालिग के साथ बलात्कार के संबंध में जानकारी है और वे कोई कदम नहीं उठाते तो वे भी सजा के भागीदार हैं. यदि दोनों प्रावधानों को एक साथ देखा जाये तो पंचायत प्रतिनिधि भी इस प्रावधान के दायरे में आ जाते हैं. अतः बाल विवाह मुद्दे से पंचायत प्रतिनिधि पर संबंधित हैं.

घटना:

सविता और दीपाली दोनों दोस्त नौवीं कक्षा में साथ-साथ पढ़ती थीं. इन दिनों सविता बहुत परेशान थी. उसकी दोस्त दीपाली ने अचानक विद्यालय आना बंद कर दिया था. एक दिन गाँव में चहल-पहल देख उसे पता चला कि दीपाली की शादी होने वाली है. दूर राज्य हरियाणा से कुछ अधेड़ लोग शादी के लिए आये हैं. उसने अपनी आंगनबाड़ी सेविका चाची से यह बात बताई तो वह बोली, गाँव घर का मामला है. दीपाली के माता-पिता बहुत गरीब हैं. बिना दान-दहेज़ पार लग जा रहा है. कुछ बोलेंगे तो परिवार की ही बदनामी होगी. सविता का मन शांत नहीं था, उसे बहुत कुछ अटपटा लग रहा था. चाची का जवाब भी उसे हजम नहीं हुआ. लेकिन वह समझ नहीं पा रही थी कि करे तो क्या?

- इस कहानी में क्या-क्या गलत/अपराध हो रहा है?
- सविता को किसके पास जाना चाहिए और क्यों?
- इस बाल विवाह को कौन-कौन प्रभावित कर सकता था और कैसे?
- परिचर्चा के लिए प्रेरित करें. जवाब संकलित करें.

निष्कर्ष:

बाल विवाह में बच्चों के अलावा अभिभावक, उनके परिवार के सदस्य, समाज के लोग, अगुआ, दूसरे पक्ष के परिवार, पंडितजी, संरक्षण तंत्र के सदस्य, सभी किसी ना किसी प्रकार से प्रभावित कर सकते थे. वे सभी बाल विवाह के हितधारक हैं.

कभी-कभी एक समस्या दुसरे समस्या को जन्म देती है. अतः उस से जुड़े लोगों का पहचान, जैसे विवाह के लिए आये लोग भी

प्रमुख हितधारक हैं. आंगनबाड़ी वाली चाची न सिर्फ दीपाली की रिश्तेदार है बल्कि वह सरकार द्वारा गठित एक महत्वपूर्ण संरक्षण तंत्र- ग्राम बाल संरक्षण तंत्र की संयोजिका भी है, और उसकी विशेष जिम्मेदारी भी है, जो उसने यहाँ नहीं निभाया.

5.2: संरक्षण तंत्र

प्रस्तुति: बाल विवाह से संबंधित संरक्षण तंत्र निम्नलिखित हैं:-

बाल कल्याण समिति : देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए जिला स्तरीय समिति.

किशोर न्याय बोर्ड: कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के लिए जिला स्तरीय बोर्ड.

जिला बाल संरक्षण इकाई: इस जिला स्तरीय समिति में अनेक बाल संरक्षण पदाधिकारी होते हैं.

बाल संरक्षण समिति: इसका गठन जिला, प्रखंड एवं ग्राम(शहरों में वार्ड) स्तर पर किया गया है.

विद्यालय प्रबंधन समिति: विद्यालय स्तर पर गठित समिति का बाल विवाह निवारण में विशेष भूमिका है.

विशेष किशोर पुलिस इकाई : हर पुलिस थाना में बाल संरक्षण अधिकारी.

झारखण्ड राज्य बाल संरक्षण आयोग: बाल संरक्षण के मुद्दों पर सुनवाई हेतु आयोग. (राज्य स्तरीय)

चाइल्ड लाइन : देखरेख की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए आपातकालीन, राष्ट्रीय और 24 x 7, निशुल्क सेवा. फ़ोन नंबर -1098

बाल विवाह निषेध पदाधिकारी: प्रखंड विकास पदाधिकारी. इन्हें नोडल अधिकारी भी कहा जाता है.

5.3: संरक्षण तंत्र की भूमिका

परिचर्चा-प्रस्तुति:

1. बाल विवाह निषेध पदाधिकारी: प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रखंड में बाल विवाह रोकने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है. इनका मुख्य कार्य
   - उचित कार्रवाई करके बाल विवाह का रोकथाम करना.
   - बाल विवाह रोकथाम हेतु समुदाय में जागरूकता पैदा करना.
   - कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध प्रभावी अभियोजन के लिए साक्ष्य एकत्र करना.
   - बाल विवाह संबंधी घटनाओं का आंकड़ा रखना.
   - समुदाय में लोगों (धर्म गुरु, पारम्परिक नेता, मुंडा मानकी आदि) से सलाह मशविरा करना.
2. पुलिस विभाग: बाल विवाह के संबंध में पुलिस की निम्न विशेष जिम्मेदारी है:
   - बाल विवाह की शिकायत मिलने पर त्वरित कार्रवाई करना और इसकी सूचना बाल विवाह निषेध पदाधिकारी को देना. बाल विवाह को रोकने का प्रयास करना.
   - बाल विवाह होने की संभावना पर इसकी सूचना जिला/न्यायायिक मजिस्ट्रेट को देना.
   - बाल विवाह वाले बच्चे को मुक्त करा उसे बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करना.
   - तत्काल एफ आई आर दर्ज करना.
   - विवाह करने वाले वयस्क, कराने वाले तथा भाग लेने वालों को गिरफ्तार करना.
   - बाल विवाह के रोकथाम की कार्य योजना तैयार कर आवश्यक कार्रवाई करना.
3. ग्राम बाल सरंक्षण समिति: इसका अधिकार, कार्य एवं दायित्व निम्नलिखित है-
   - सभी कठिन परिस्थिति में रहने वाले बच्चों, उनके परिवारों का सामाजिक मानचित्रण करना.

- आंगनबाड़ी केंद्र तथा विद्यालयों में उपलब्ध बच्चों की सूची के माध्यम से असुरक्षित बच्चों की सूची तैयार करना, सूची हर महीने अपडेट करना और उचित मदद हेतु ऊपर की समितियों को भेजना.
- बच्चों की सुरक्षा एवं संरक्षण संबंधी विषयों पर कार्य करना, जागरूकता कार्यक्रम चलाना.
- गाँव में बाल विवाह, बाल श्रम, बाल शोषण, पलायन, मानव व्यापार, जैसी घटना रोकने हेतु कारगर कदम उठाना. संबंधित घटना की जानकारी पर समाधान के लिए पहल करना. विशेष किशोर पुलिस इकाई/संस्था एवं बाल कल्याण समिति को तत्काल सूचित करना.
- गाँव को बाल मजदूरी एवं बाल विवाह मुक्त बनाने हेतु प्रयास करना.
- आवश्यक दिशानिर्देश पर बच्चों/परिवारों को चिन्हित कर उन्हें उचित योजनाओं से जोड़ने हेतु ग्राम पंचायत को अनुशंसा करना.
- कठिन परिस्थिति में रहने वाले बच्चों, उनके परिवारों को सरकारी योजनाओं से जोड़ना और लाभ दिलाना सुनिश्चित करना.

4. बाल कल्याण समिति:

- बाल विवाह की सूचना या शिकायत पर तत्काल संज्ञान लेते हुए बाल विवाह रुकवाने के लिए बाल विवाह निषेध अधिकारी को आदेश देना.
- बाल विवाह में लिप्त दोषियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के लिए पुलिस को आदेश देना.
- बाल विवाह पीड़ितों के मुक्ति हेतु चाइल्ड लाइन एवं स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि को निर्देश देना.
- पीड़ित बच्चे का बयान दर्ज करवाना एवं उसके सुरक्षा और देखभाल की व्यवस्था सुनिश्चित करवाना.
- बच्चों की चिकित्सीय सहायता, परामर्श, मुआवजा, गुजारा भत्ता आदि व्यवस्था सुनिश्चित करवाना.
- बाल विवाह से संबंधित नवजात के पालन पोषण के लिए उसके पिता या पिता के परिवार से गुजारा भत्ता दिलवाना.
- बाल विवाह से पीड़ित एवं पीड़ित के परिवारजनों को परामर्शीय सहायता उपलब्ध करवाना.

5. बाल विवाह के रोकथाम के लिए पंचायत की विशेष भूमिका :

- बाल विवाह के रोकथाम के लिए बाल विवाह निषेध अधिकारी की मदद करना.
- सुनिश्चित करना कि कोई पंचायत सदस्य बाल विवाह को बढ़ावा ना दें.
- ग्राम सभा में बाल विवाह कुरीति, जेंडर समानता और बच्चों के शिक्षा के महत्व पर चर्चा करना.
- बाल विवाह कुरीति पर समाज और किशोरों/ किशोरियों में जागरूकता और संवेदनशीलता लाना.
- शादी/लगन से पूर्व बाल विवाह रोकथाम से संबंधित अभियान चलाना.
- विद्यालय में लड़को और लड़कियों के नामाँकन तथा ठहराव के लिए प्रयास करना.
- स्कूल ड्राप आउट बच्चों का सूची तैयार कर उनका ट्रेकिंग करना.
- बाल विवाह रोकथाम हेतु बाल संरक्षण से जुड़े संपर्क नंबर का संग्रह करना.
- ग्राम स्तर पर विवाह पंजीकरण करवाना.
- किशोर और किशोरियों के सशक्तिकरण पर कार्य करना ताकि वे अपने जीवन संबंधी सही निर्णय ले सकें.
- बाल विवाह की सूचना मिलने पर उसे रोकने का प्रयास करना और तथा इसकी सूचना नोडल पदाधिकार को देना. जो बच्चे अपना विवाह रद्द करना चाहते उनकी सूची बनाकर बाल विवाह निषेध अधिकारी को उपलब्ध कराना.
- बाल विवाह रोकने हेतु आर्थिक रूप से कमजोर किशोरियों को आर्थिक सहयोग प्रदान करवाना.
- जोखिम वाले परिस्थिति में रहने वाले परिवार एवं किशोरियों का सरकारी योजना तक पहुँच बनाना.
- बाहरी व्यक्तियों द्वारा विवाह हेतु लालच देने वालोवालों पर निगरानी रखना.
- बाल विवाह के मुद्दे को ग्राम सभा में उठाना और नियमित रूप से उस पर चर्चा करना और निगरानी रखना.
- चाइल्ड लाइन के संबंध में प्रचार-प्रसार करना और बाल विवाह होने पर इसकी सूचना देना.

ग्राम बाल संरक्षण समिति के अध्यक्ष गाँव के ग्राम प्रधान तथा प्रखंड बाल संरक्षण समिति

निष्कर्ष:

बाल विवाह से संरक्षण के लिए अनेक तंत्र हैं. सबकी अपनी-अपनी विशेष जवाबदेही है. पंचायत प्रतिनिधियों की भी विशेष जवाबदेही है.

सत्र- 6: बाल विवाह से संबंधित कानूनी प्रावधान

समय : 45 मिनट
पद्धति : ब्रेनस्टार्मिंग, पीपीटी
सामग्री : पीपीटी

उद्देश्य :

- बाल विवाह से संबंधित कानून की जानकारी
- बाल विवाह से संबंधित कानून और पंचायत के भूमिका पर समझ बनाना.

6.1: बाल विवाह संबंधी कानून

परिचर्चा:

सहभागियों से बाल विवाह संबंधी प्रमुख कानूनी अधिनियम के बारे में पूछें. आवश्यकता पड़ने पर संकेत दें.

संबंधित कानून एवं नियम:

- बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006
- राज्य बाल विवाह निषेध नियम, 2015
- किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000
- किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2016
- यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, (पोक्सो अधिनियम 2012, संशोधन 2019)
- पोक्सो नियम 2000
- महिलाओं का घरेलु हिंसा से संरक्षण अधिनियम, 2005
- महिलाओं का घरेलु हिंसा से संरक्षण नियम, 2006

6.2: बाल विवाह निषेध अधिनियम

प्रस्तुति:

बाल विवाह निरोधक अधिनियम, 1929 (शारदा अधिनियम) में लड़कियों के लिए विवाह की उम्र 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष थी.1949 में लड़कियों विवाह संबंधी उम्र को 14 साल से बढ़ाकर 15 साल और उसके बाद 1978 में इसे 18 साल कर दिया गया. लड़कों की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल कर दिया गया. 2006 में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम में विवाह के उम्र में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैं:-

- बाल विवाह: लड़कों का विवाह 21 वर्ष और लड़कियों का विवाह 18 वर्ष के पूर्व बाल विवाह है और यह प्रतिबंधित है.
- विवाह की मान्यता: विवाह बंधन में आने के बाद किसी भी बालक या बालिका की अनिच्छा होने पर उस विवाह को दो साल के अंदर जिला न्यायालय में अर्जी दायर कर अवैध घोषित करवाया जा सकता है.

- संरक्षण: विवाह के लिए बालक/बालिका को उसके कानूनी संरक्षक से दूर ले जाना या मजबूर करना अपराध है.
- भरण-पोषण: जिला न्यायालय किशोरी के वयस्क पति को भरण-पोषण देने का आदेश दे सकता है. यदि विवाह बंधन में लड़का नाबालिग है तो लड़की का भरण-पोषण का जिम्मेदारी उसके माता-पिता को होगा.
- दान: न्यायालय के आदेशानुसार दोनो पक्षों को विवाह में दिए गए गहने, कीमती वस्तुएं और धन लौटाने होंगे.
- बाल विवाह के लिए दोषी: 18 साल से अधिक लेकिन 21 साल से कम उम्र का वर, बालक या बालिका के माता, पिता, संरक्षक, बाराती, अन्य मेहमान, टेंट का सामन देने वाला, केटरर, विवाह को संचालित अथवा दुष्प्रेरित करने वाले व्यक्ति जैसे अगुवा, पंडित आदि तथा विवाह में शामिल लोग बाल विवाह के लिए दोषी माने जायेंगे.
- बाल विवाह से संबंधित दंड: बाल विवाह के आरोपियों को दो साल तक का कठोर कारावास या एक लाख रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनो एक साथ हो सकते हैं. विवाह में शामिल लोगों को तीन महीने तक की कैद और जुर्माना हो सकता है. इस कानून के तहत किसी महिला को कारावास की सजा नहीं होती है.
- बाल विवाह की शिकायत: जिस व्यक्ति का बाल विवाह करवाया जा रहा हो उसका कोई रिश्तेदार दोस्त या जानकार बाल विवाह के बारे में थाने जाकर बाल विवाह की जानकारी दे सकता है. इस पर पुलिस पूछताछ करके मजिस्ट्रेट के पास रिपोर्ट भेजती है.
- बाल विवाह निषेध अधिकारी: इस कानून के तहत प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रखंड स्तर पर नोडल पदाधिकारी होता है. जिला स्तर पर जिला जिला मजिस्ट्रेट के पास बाल विवाह निषेध अधिकारी की शक्तियां होती हैं.
- बाल विवाह से संबंधित मामलो में याचिका: बाल विवाह कानून के तहत किसी भी राहत के लिए संबधित निम्नलिखित जिला न्यायालय में अर्जी दी जा सकती है- प्रतिवादी के निवास स्थान से संबंधित जिला न्यायालय, विवाह का स्थान, जिस जगह पर दोनो पक्ष पहले से एक साथ रह रहें थे या याचिकाकर्ता वर्तमान मे जहाँ रह रहा हो उससे संबंधित जिला न्यायालय.

6.3: पोक्सो अधिनियम

प्रस्तुति:

यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (प्रोटेक्शन आफ चिल्ड्रेन फ्राम सेक्सुअल अफेंसेस) संक्षिप्त रूप में पोक्सो अधिनियम 2012 के नाम से जाना जाता है. इसमें बच्चों के प्रति यौन उत्पीड़न संबंधी जघन्य अपराधों को रोकने का प्रावधान है. इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैं-

- इसने भारतीय दंड संहिता, 1860 के अनुसार सहमती से सेक्स करने की उम्र को 16 वर्ष से बढाकर 18 वर्ष कर दिया है. इसका मतलब है कि-
  - यदि कोई व्यक्ति (एक बच्चा सहित) किसी बच्चे के साथ उसकी सहमती या बिना सहमती के यौन कृत्य करता है तो उसको पोक्सो एक्ट के अनुसार सजा मिलनी ही है.
  - यदि कोई पति या पत्नी 18 साल से कम उम्र के जीवनसाथी के साथ यौन कृत्य करता है तो यह अपराध की श्रेणी में आता है और उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है.
- पोक्सो कनून के तहत सभी अपराधों की सुनवाई, एक विशेष न्यायालय द्वारा कैमरे के सामने बच्चे के माता पिता या जिन लोगों पर बच्चा भरोसा करता है, के उपस्थिति में होनी चाहिए.
- यदि अभियुक्त एक किशोर है, तो उस पर किशोर न्याय बोर्ड में बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम के तहत के मुकदमा चलाया जाता है.
- यदि अपराधी ने कुछ ऐसा अपराध किया है जो कि बाल अपराध कानून के अलावा अन्य कानून में भी अपराध है तो अपराधी को सजा उस कानून में तहत होगी जो कि सबसे सख्त हो.
- इसमें खुद को निर्दोष साबित करने का दायित्व अभियुक्त पर होता है. इसमें झूठा आरोप लगाने, झूठी जानकारी देने तथा किसी की छवि को ख़राब करने के लिए भी सजा का प्रावधान है.
- इस अधिनियम में यह प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति यह जानता है कि किसी बच्चे का यौन शोषण हुआ है तो उसके

इसकी रिपोर्ट नजदीकी थाने में देनी चाहिए, यदि वो ऐसा नहीं करता है तो उसे छह महीने की कारावास और आर्थिक दंड लगाया जा सकता है.

- बच्चे के यौन शोषण का मामला घटना घटने की तारीख से एक वर्ष के भीतर निपटाया जाना चाहिए.
- पोक्सो अधिनियम के तहत बच्चें का बयान के लिए बार बार पुलिस स्टेशन या न्यायलय में नहीं बुलाना है.
- 164 के बयान के समय बच्चा जिसपर भरोसा करता है उसे अपने साथ रख सकता है.
- 164 बयान के समय आरोपी को पीड़िता के सामने नहीं लाना है.
- इस अधिनियम के तहत बच्चें का मेडिकल जाँच अभिभावक या बच्चा जिस पर भरोसा करता है उसके सामने किया जाना है.
- यदि पीड़िता बच्ची है तो मेडिकल जाँच महिला डॉक्टर के द्वारा किया जाना है.
- इस अधिनियम के तहत FIR की कॉपी अभिभावक को निशुल्क उपलब्ध करवाना है.
- इस अधिनियम के तहत बच्चा जहाँ अपने आप को अनुकूल समझे उस स्थान पर बयान लेना है.
- यदि बच्चा मानसिक या शारीरिक रूप से दिव्यांग हो तब मजिस्ट्रेट या पुलिस विशेष शिक्षक या बच्चे की भाषा समझने वाले व्यक्ति की सहायता ले सकते हैं.
- बच्चें का बयान आडियो/वीडिओ इलेक्ट्रोनिक माध्यम से रिकॉर्ड किया जाना है.
- अभिभावक बच्चे के अधिकार के संरक्षण हेतु अपने पसंद का क़ानूनी सलाहकार नियुक्त करने का हक़दार हैं.
- यदि अभिभावक क़ानूनी सलाहकार का व्यय उठाने में असमर्थ है तो विधिक सहायता प्राधिकरण उन्हें वकील उपलब्ध करवाएगा.

6.4: अन्य अधिनियम में बाल विवाह संबंधी प्रावधान

प्रस्तुति:

किशोर न्याय (बच्चों का देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम

- किशोर न्याय (बच्चों का देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के समुचित देख-रेख, संरक्षण, त्वरित न्याय एवं सामाजिक न्याय हेतु प्रमुख कानून है. बच्चों के सर्वोत्तम हित एवं बाल मैत्री दृष्टिकोण पर आधारित यह कानून बाल संरक्षण के प्रयासों का आधार है.
- इस अधिनियम का धारा 75 बच्चों के प्रति क्रूरता का वर्णन करती है. इस धारा के तहत अगर कोई बच्चों पर नियंत्रण रखते हुए बच्चे का शोषण या उत्पीड़न करेगा जिससे उसका शारीरिक या मानसिक कष्ट की संभावना है तो यह बाल-क्रूरता का दोषी माना जायेगा और उसे तीन वर्ष या एक लाख रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकता है.
- इस अधिनियम के नियमावली 2016 के नियम 55 के अनुसार शादी के लिए बच्चे को देना बच्चों के प्रति क्रूरता माना जायेगा और उसे अधिनियम के धारा 75 के अनुरूप सजा होगी.
- इस अधिनियम के नियमावली 2016 की धारा 83 के अंतर्गत यदि कोई नाबालिक बच्चा अपराध करता है तो उसके माँ-बाप या पालक को जेल हो सकती है. इसके साथ ही जिसके संगत में बच्चा अपराध कर रहा है उसे भी जेल भेजा जा सकता है.

महिलाओं का घरेलु हिंसा से संरक्षण अधिनियम:

यह अधिनियम घर के अन्दर महिलाओं का मौखिक, शारीरिक, भावनात्मक और यौन हिंसा से संरक्षण करती है. यह एक नागरिक कानून है अपराधिक कानून नहीं है. इस कानून के तहत अपराधिक मुक़दमा या कारावास के सजा का प्रावधान नहीं है. हालांकि, अदालत के आदेश का उल्लंघन करने पर अपराधिक मुक़दमा चलाया जा सकता है. इस अधिनियम के बाल विवाह संबंधी मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैं

- बेटी को घर से बाहर निकलना भी इस अधिनियम के तहत एक प्रकार का हिंसा माना गया है.

- बेटी पर शादी करने का दबाव भी एक प्रकार का हिंसा है.
- महिला को नीचा दिखने या अपमानित करने वाले हिंसा भी इसमें यौन हिंसा माना गया है.
- किसी महिला को खतरे में डालना, इस कानून के तहत अपराध माना गया है.
- का अध्यक्ष प्रमुख और उपाध्यक्ष उप-प्रमुख होतें हैं. इस पद के अनुसार उनकी विशेष जिम्मेदारी होती है.

सत्र- 7: बाल विवाह से संबंधित योजनायें

समय : 60 मिनट
पद्धति : ब्रेनस्टार्मिंग, पीपीटी
सामग्री : पीपीटी, मानक प्रक्रिया का प्रतियां

उद्देश्य :

- बाल विवाह से संबंधित योजनाओं के जानकारी में वृद्धि करना.

7.1: बाल विवाह से संबंधित योजनायें

परिचर्चा-प्रस्तुति:

सहभागियों से बाल विवाह से संबंधित योजनाओं के बारे में पूछें. जवाब संकलित करें. फिर पूरी जानकारी दें.

झारखण्ड राज्य में बाल विवाह को समाप्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा "झारखण्ड राज्य की कार्य योजना" तैयार की गई है जिसमे राज्य के विभिन्न विभागों सहित संस्थाओं, समुदाय और जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी तय की गई है. इस कार्य योजना में कानून और सरकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और जागरूकता हेतु भी प्रयास किया गया है. यही नहीं विभिन्न समितियों को क्रियाशील बनाने की रणनीति भी तैयार की गई है. इसके अलावे कुछ प्रमुख योजनायें निम्नलिखित हैं.

- समेकित बाल संरक्षण योजना: इसके तहत, संरक्षण एवं देखभाल की जरुरत वाले परिवार के बच्चों के लिए प्रायोजकता का प्रावधान है जो उन्हें परिवार से अलग होने से रोकता है.
- सबला और तेजस्विनी योजना: ये योजनायें किशोरियों की भागीदारी और सशक्तिकरण के द्वारा उनमें जीवन कौशल की क्षमता विकसित करते हैं साथ ही बाल विवाह और अन्य सामाजिक मुद्दों पर उनकी समझदारी भी विकसित करते हैं.
- राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम: यह कार्यक्रम किशोरियों के पोषण, मानसिक स्वास्थ्य, हिंसा और अघात के रोकथाम, यौन और प्रजनन स्वास्थ्य, प्रजनन की तैयारी, किशोरावस्था में गर्भाधान की रोकथाम आदि के द्वारा बाल विवाह रोकने का प्रयास करती है.
- मुख्यमन्त्री लक्ष्मी लाडली योजना: इस योजना के तहत सरकार द्वारा बेटी के जन्म (निबंधन) से अगले पांच साल तक 6000 रुपये उसके नाम से लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जमा किया जाता है.
- सुकन्या समृद्धि योजना: यह योजना भी बालिका के 10 वर्ष की उम्र से, बालिका के वयस्कता तक तय राशी जमा करने पर अधिक लाभ द्वारा बाल विवाह को हतोत्साहित करती है.
- मुख्यमन्त्री कन्यादान योजना: निर्धन परिवार के किशोरियों के विवाह के सहातार्थ यह योजना भी बालिका के विवाह में देरी को प्रोत्साहित करती है, जब तक वह वयस्क ना हो जाये.
- समग्र शिक्षा अभियान और कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय: ये योजनायें माध्यमिक स्तर तक बालिका शिक्षा को बढ़ावा देती हैं, साथ ही उन्हें संरक्षण प्रदान करने का प्रयास करती हैं.
- बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ: इस योजना का उद्देश्य बालिका उत्तरजीविता, उनका उचित संरक्षण और शिक्षा को बढ़ावा सहित लिंगानुपात बेहतर कर बालिका के महत्व का बढ़ावा देना है. ये सभी प्रयास उतरोत्तर बाल विवाह को रोकने में सहायक होते हैं.
- शैक्षिक छात्रवृति कार्यक्रम: बालिकाओं के शिक्षा के लिए छात्रवृति दिया जाता है, ताकि उनकी शिक्षा अबाध रहे. यह बाल विवाह के संभावना को सीमित करता है.
- शैक्षिक सहायता: बालिकाओं के शिक्षा के लिए नि:शुल्क शिक्षा सहित, परिवहन के लिए साईकिल वितरण आदि सहायता सरकार द्वारा प्रदान की जाती है.

- कौशल विकास योजना और व्यावसायिक प्रशिक्षण:- विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास योजनाओं के द्वारा लड़कियों की आर्थिक स्वनिर्भरता को बढ़ाकर बाल विवाह रोकने में मदद करते हैं.

7.2 बाल विवाह के रोकथाम हेतु मानक संचालन प्रक्रिया

प्रस्तुति:

बाल विवाह के प्रभावी रोकथाम के संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) की प्रति वितरीत करें. सहभागियों को बता दें कि इसमें विभिन्न हितधारकों के विशेष जिम्मेदारी का वर्णन है. यहाँ केवल पंचायत प्रतिनिधियों एवं विद्यालय के जिम्मेदारियों पर चर्चा की जा रही है.

जिला परिषद/ग्राम पंचायत/पंचायत समिति की जिम्मेदारियां:-

1. बाल विवाह होने की सूचना मिलने पर पंचायत सदस्य दोनों पक्षों के अभिभावकों/ रिश्तेदारों/समुदाय से बातचीत कर बाल विवाह को रोकने हेतू कोशिश करना.
2. लड़के/लड़की से बात कर उन्हें बाल विवाह और उसके परिणामों से अवगत कराना तथा बच्चे को उसके बाल विवाह से संरक्षण के अधिकार के बारे में अवगत कराना.
3. अधिनियम की धारा 16(2) के तहत नियुक्त बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी को बाल विवाहों की रोकथाम करने में मदद करना.
4. यह सुनिश्चित करना कि ग्राम सभा या ग्राम पंचायत के किसी भी सदस्य की ओर से बाल विवाहों को प्रोत्साहन न दिया जाए.
5. गांवों में इस अधिनियम एवं बाल विवाह के बारे में जागरूकता पैदा करने का कार्य करना. ग्राम सभा की बैठको में नियमित रूप से बाल विवाह रोकथाम चर्चा कराना.
6. गाँव के वार्ड सदस्य के द्वारा शादी निबंधन रजिस्टर का संधारण नियमानुसार करना.
7. पंचायत के मुखिया द्वारा मंदिर समिति/मौलबी को पत्र निर्गत कर यह सूचित करना कि कानूनी उम्र के अनुसार शादी सम्पन्न किया जाए.
8. पंचायत के मुखिया द्वारा शादी के लिए परिवार को उम्र का सत्यापन कर प्रमाण पत्र निर्गत करना. यह स्कूल प्रमाण पत्र या जन्म प्रमाण पत्र पर आधारित हो. अगर इन दोनों में से कोई भी दस्तावेज नहीं है तब ही आधार पर आधारित उम्र का सत्यापन किया जा सकता है.
9. यह सुनिश्चित करना कि गाँव की सभी शादियां लड़कियों का 18 वर्ष से अधिक एवं लड़कों का 21 वर्ष से अधिक में हो तथा गाँव में जो वधु आ रही है उसका उम्र भी 18 वर्ष से ऊपर हो.
10. जिन बच्चों के बाल विवाह हो चुका है और जो अपना विवाह रद्द करना चाहते हैं उनकी सूची तैयार कर बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी को उपलब्ध कराना ताकि बाल विवाह निरस्तीकरण संबंधी कार्यवाही की जा सके.
11. सभी बच्चों, खासतौर से लड़कियों को स्कूल में दाखिला एवं ठहराव सुनिश्चित कराना.
12. बाल विवाह रोकथाम के लिए अपने पंचायत के सुदूर/दुर्गम/आर्थिक रूप से कमजोर किशोरियों को उच्च शिक्षा हेतू आवश्यक सहयोग करना.
13. प्रखण्ड एवं ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण समिति को सक्रिय करते हुए बाल संरक्षण के मुद्दों मुख्यतः बाल विवाह, बाल तस्करी, बाल मजदूरी एवं बाल उत्पीड़न पर जागरूकता एवं रोकथाम संबंधी कार्य करना.

प्रश्नोत्तरी:

- सहभागियों से उनकी जिम्मेदारी संबंधी 10 प्रश्न पूछें.
- आवश्यकतानुसार स्पष्टीकरण दें.

जिला शिक्षा विभाग/स्थानीय विद्यालय:-

अधिनियम में प्रत्येक विद्यालय के शिक्षक/शिक्षिका को अधिनियम की धारा 16(2) के अंतर्गत बाल विवाह रोकने के लिए नियुक्त बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की सहायता करने का जिम्मा सौंपा गया है.

1. विद्यालय प्रशासन को बाल विवाह हो रहा है या बाल विवाह होने वाला है कि सूचना मिलती है, तो इसके बारे में तत्काल नजदीकी पुलिस थाने/बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी/चाइल्ड लाइन (1098)/ग्राम पंचायत को सूचित करना.
2. विद्यालय में ऐसे बच्चों पर सीधी नजर रखें जो बाल विवाह का शिकार बन सकते हैं. स्कूल में ऐसे बच्चों की नियमित हाजिरी सुनिश्चित करना.
3. यदि किसी बच्चे की गैरहाजिरी संदेहास्पद लगती है तो तत्काल उस बच्चे के घर जाकर उससे मिलने एवं गैरहाजिरी के संबंध में पूछताछ करना.
4. विद्यालय प्रबंधन समिति एवं अभिभावकों के साथ नियमित बैठक लेकर उन्हें बाल विवाह के दुष्परिणाम एवं बाल विवाह नहीं करने संबंधी जानकारी प्रदान करना.
5. विद्यालयों में बच्चों को बाल विवाह एवं उनके अधिकारों के बारें में अवगत कराना.
6. प्रत्येक विद्यालय में चाइल्ड लाइन का फ़ोन नंबर अंकित किए जाये ताकि बच्चे उन पर अपनी शिकायतें भेज सकें.
7. किशोर-किशोरियों के लिए कैरियर परामर्श की व्यवस्था करना.
8. कस्तुरबा गांधी आवासीय विद्यालय में प्रचार-प्रसार करना ताकि किशोरियों का बाल विवाह के नुकसान से अवगत किया जा सके.

पंचायत प्रतिनिधी, विद्यालय प्रबंधन समिति (प्राथमिक स्तर) और विद्यालय विकास प्रबंधन समिति (माध्यमिक स्तर) दोनों के सदस्य होतें हैं. इस नाते उनकी विशेष भूमिका उपरोक्त भी हैं.

लिंकेज:

पंचायत प्रतिनिधियों के जिम्मेदारियों के निर्वहन में सहायता कर सकने वाले संस्था के प्रतिनिधियों के बारे में बता दें. पंचायत प्रतिनिधी उनसे किस प्रकार की मदद ले सकते हैं स्पष्ट कर दें.

7.3 खुला सत्र

स्पष्टीकरण/ खुली चर्चा :

सत्र संबंधी किसी भी प्रकार के स्पष्टता हेतु खुली चर्चा का आयोजन करें

सत्र- 8: कार्य योजना निर्माण

समय : 30 मिनट
पद्धति : लेखन, परिचर्चा
सामग्री : फॉर्मेट

उद्देश्य :

- व्यक्तिगत कार्य योजना बनाना.

8.1: कार्य योजना निर्माण

लेखन कार्य:

- सभी प्रमुख चार्टों को क्रम से दीवार पर चिपका दें.

- उन्हें प्रमुख चार्टों को 10 मिनट तक अध्ययन करने के लिए कहें.
- चयनित सहभागियों को प्रमुख चार्ट पढ़ने के लिए कहा जा सकता है.
- सभी को बाल विवाह रोकने के लिए उनके द्वारा किया जाने वाला तीन प्राथमिक कार्य कार्ड में लिखने के लिए कहें.
- जवाब संकलित करते जाएँ. उन्हें वर्गीकृत कर बोर्ड में लिख दें.
- यदि सहभागी इसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं तो पूछें.
- संस्था के प्रतिनिधि के द्वारा कार्य योजना के क्रियान्वयन में सहयोग हेतु टिप्पणी

सत्र- 9: फीडबैक

समय : 20 मिनट
पद्धति : लेखन कार्य ,
सामग्री : चार्ट, स्केच, टेप, कार्ड

उद्देश्य :

- सुधार हेतु जानकारी

9.1: प्रशिक्षण के बारे में फीडबैक

- उनकी प्रशिक्षण से अपेक्षाएं कितनी पुरी हुई, मिलान करें
- पुनः उस चार्ट को निकाले जिसमें सभी की अपेक्षाएं लिखी गयी थी, किसी प्रतिभागी को बुला कर चार्ट को पढ़ने के लिए कहें. साथ में मिलान करते जाएँ कि प्रशिक्षण से कौन कौन सी अपेक्षाएं पुरी हुई?
- जो अपेक्षाएं पुरी नहीं हुई उसके लिए रणनीति बनायें.
- सहभागियों से संक्षिप्त में प्रशिक्षण के बारे में उनकी राय लें.
- उनसे पूछें कि ऐसी कौन सी सीख थी जो उन्होंने अपने साथियों से सीखा.
- उनसे पूछें कि ऐसी कौन सी सीख थी जो उन्हें बताया नहीं गया था पर उन्होंने प्रशिक्षण के दौरान देख कर सीखा.
- संस्था के तय फॉर्मेट के आधार पर प्रशिक्षण की गुणवत्ता, प्रशिक्षण विधि, सहजकर्ता का तरीका, पठन सामग्री, प्रशिक्षण की उपयोगिता, प्रशिक्षण की व्यवस्था और आगामी प्रशिक्षण की आवश्यकता पर सहभागियों का फीडबैक लें.

धन्यवाद ज्ञापन और सहभागियों को शुभकामना संदेश तथा सकुशल घर वापसी की कामना के साथ कार्यक्रम का समापन करें.

धन्यवाद

सहजकर्ता के लिए नोट:

सृजन फाउंडेशन

मुख्य कार्यालय:106, बिजोय एन्क्लेव, हीराबाग चौक, मटवारी, हजारीबाग- 825301
राज्य समन्वय कार्यालय: पृथ्वी होम, फ्लैट नं-202 डी.ए.वी.
दीपटोली गेट नं.1 के निकट, बाँधगाड़ी, रांची 834009
Website: www.srijanjhk.org . E-mail id: srijanfoundationjkd@gmail.com